उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
Uttarakhand Open University

Ref. No. UOU/R/EC/27/2020/4352
Date 15/02/2020

सेवा में,

1. प्रोफेसर बी0एस0 पठानिया, रिटायर्ड डीन ऑफ लैंगवेजज, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, 5, गोलघर अपार्टमेन्ट, कैलोस्टोन स्टेट, शिमला- 171 001
2. श्री रमेश नारायणस्वामी, आई0ए0एस0 (सेवानिवृत्त), पूर्व मुख्य सचिव, दिल्ली एवं सचिव, भारत सरकार, ए-35, अदिति अपार्टमेन्ट, मदर डेरी के पीछे, आई0पी0 एक्सटेन्शन, नई दिल्ली।
3. श्री आर0डी0 आनन्द, अधिवक्ता 1581, सेक्टर 49बी, चड़ीगढ़।
4. श्री राकेश भारती मित्तल, उपाध्यक्ष, भारती एंटरप्राइजेज, भारती क्रीसेंट, 1 नेल्सन मंडेला रोड, वंसत कुंज, फेस-2, नई दिल्ली -110 070।
5. प्रोफेसर सत्यकाम, सम-कुलपति, इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (प्रतिनिधि कुलपति, इग्नू)।
6. प्रोफेसर एन0पी0 माहेश्वरी, निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा)।
7. प्रोफेसर एच0पी0 शुक्ल, निदेशक, मानविकी विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
8. प्रोफेसर दुर्गेश पंत, निदेशक,कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
9. प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र, निदेशक, प्रबंध अध्ययन एवं वाणिज्य, विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
10. डॉ0 सूर्यभान सिंह, सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
11. प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।
12. प्रोफेसर पी0डी0 पंत, परीक्षा नियंत्रक, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।
13. श्रीमती आभा गर्खाल, वित्त अधिकारी, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।
14. श्री विमल कुमार मिश्र, उपकुलसचिव, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।

महोदय/महोदया,

दिनांक **12 फरवरी, 2020 (बुधवार)** को सम्पन्न उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की **कार्य परिषद की 27वीं बैठक** का कार्यवृत्त संलग्न कर प्रेषित है। कार्यवृत्त में यदि कोई संशोधन हो तो, कृपया अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि कार्यवृत्त की पुष्टि के समय प्रस्तावित संशोधन को संज्ञान में लेते हुए यथा आवश्यक परिवर्तन/संशोधन किया जा सके।

सादर,

भवदीय,

BS
15/02/2020

(भरत सिंह)

कुलसचिव/ सचिव, कार्य परिषद

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय श्री राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को माननीय कुलाधिपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. कुलपति जी के वैयक्तिक सहायक को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।

BS
15/02/2020

(भरत सिंह)

कुलसचिव/ सचिव, कार्य परिषद

दिनांक 12 फरवरी, 2020 (बुधवार) को माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में प्रात: 11.30 बजे विश्वविद्यालय सभागार में सम्पन्न कार्य परिषद की 27वीं बैठक का कार्यवृत्त।

<u>बैठक में निम्न ने प्रतिभाग किया:-</u>

1.	प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह नेगी, कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	अध्यक्ष
2.	प्रोफेसर बी0एस0 पठानिया, रिटायर्ड डीन ऑफ लैंग्वेजेज, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, समर हिल शिमला।	सदस्य
3.	प्रोफेसर सत्यकाम, सम-कुलपति, इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। (प्रतिनिधि- कुलपति, इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली)	सदस्य
4.	प्रोफेसर एन0पी0 माहेश्वरी, निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड (प्रतिनिधि-प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून)	सदस्य
5.	प्रोफेसर एच0पी0 शुक्ल निदेशक, मानविकी विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
6.	प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र, निदेशक, प्रबंध अध्ययन एवं वाणिज्य विद्या शाखा उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
7.	डॉ0 सूर्यभान सिंह, सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
8.	श्री भरत सिंह, कुलसचिव, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य सचिव
9.	प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	आमंत्रित सदस्य

10. प्रोफेसर पी0डी0 पंत, आमंत्रित सदस्य
परीक्षा नियंत्रक, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

11. श्रीमती आभा गर्खाल, आमंत्रित सदस्य
वित्त अधिकारी, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

12. श्री विमल कुमार मिश्र, आमंत्रित सदस्य
उपकुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

सर्वप्रथम कुलसचिव /सदस्य सचिव, कार्य परिषद द्वारा कुलपति, अध्यक्ष, कार्य परिषद तथा सभी उपस्थित बाह्य एवं आन्तरिक सदस्यों का कार्य परिषद की 27वीं बैठक में स्वागत किया गया। तदुपरान्त कुलपति जी द्वारा बैठक में उपस्थित बाह्य सदस्यों प्रोफेसर बी0एस0 पठानिया, प्रोफेसर सत्यकाम एवं प्रोफेसर एन0पी0 माहेश्वरी का अभिनन्दन किया गया व उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर बैठक में प्रतिभाग किया इसके लिए कुलपति जी द्वारा बाह्य सदस्यों का विशेष आभार व्यक्त करते हुए पुन: कार्य परिषद के समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया।

समस्त सदस्यों के स्वागतोपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत कार्यसूची में सम्मिलित प्रत्येक प्रस्ताव को कुलसचिव/सदस्य सचिव, कार्य परिषद द्वारा परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। कार्य परिषद द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव का अवलोकन कर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्तावों पर निम्नवत अनुमोदन प्रदान किया गया:-

प्रस्ताव संख्या 27.01- कार्य परिषद की 25वीं बैठक दिनांक 02.09.2019 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

कुलसचिव द्वारा परिषद को अवगत कराया गया कि कार्य परिषद की 25वीं बैठक दिनांक 02.09.2019 का कार्यवृत्त विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-यू0ओ0यू0/आर/कार्य0परि0/25/2019/3428, दिनांक 19.09.2019 द्वारा सभी सम्मानित सदस्यों के मध्य इस अनुरोध के साथ परिचालित किया गया था कि यदि कार्यवृत्त के किसी बिन्दु पर असहमति हो, किसी मद में कोई अंश छूट गया हो, अथवा कोई संशोधन अपेक्षित हो तो यथासमय विश्वविद्यालय को अवगत करा दिया जाय। तदनुसार परिचालित कार्यवृत्त पर माननीय सदस्यों से कोई असहमति/संशोधन प्राप्त नहीं हुआ है। कार्य परिषद द्वारा अवगत होते हुए सर्वसम्मति से 25वीं बैठक दिनांक 02.09.2019 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

उक्त के अतिरिक्त कुलसचिव द्वारा परिषद को यह भी अवगत कराया गया कि कार्य परिषद की 25वीं बैठक में मा0 सदस्य श्री राकेश भारती मित्तल द्वारा विश्वविद्यालय का **Compliance Certificate** (कर एवं प्रक्रियाओं हेतु) निर्मित कर आगामी कार्य परिषद की बैठक में प्रस्तुत किये जाने का आग्रह किया गया था। तदक्रम में वित्त विभाग द्वारा सी0ए0 के माध्यम से निर्मित **Compliance Certificate** उपलब्ध कराया गया है जिसकी प्रति अवलोकन हेतु कार्य परिषद के सम्मुख प्रस्तुत की गयी। कार्य परिषद द्वारा **Compliance Certificate** का अवलोकन कर सहमति व्यक्त करते हुए तदनुसार अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 27.02- कार्य परिषद की 26वीं बैठक दिनांक 02.12.2019 (विश्वविद्यालय के पंचम दीक्षान्त समारोह से पूर्व एक सूत्रीय कार्यसूची) के कार्यवृत्त की पुष्टि।

प्रस्ताव पर कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया कि कार्य परिषद की 26वीं बैठक दिनांक 02.12.2019 विश्वविद्यालय के पंचम दीक्षान्त समारोह से पूर्व आयोजित की गयी थी जिसमें दीक्षान्त समारोह आयोजित किये जाने, उपाधियॉं प्रदान किये जाने एवं दीक्षान्त समारोह में डी.लिट. की मानद उपाधि **(Honoris Causa)** प्रदान किये जाने से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तदक्रम में उत्तराखण्ड राज्य के 02 विशिष्ट व्यक्तियों-**पंडित श्री विद्यादत्त शर्मा (उनियाल)** तथा **श्री लवराज सिंह धर्मशक्तु**, असिसटेंट कमांडेंट, सीमा सुरक्षा बल (BSF) को मानद उपाधि प्रदान की गई है, से संबंधित एक सूत्रीय प्रस्ताव सम्मिलित था जिसका कार्यवृत्त सभी सदस्यों को प्रेषित कर दिया गया था। कार्यवृत्त की कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या 27.03- कार्य परिषद की 25वीं बैठक दिनांक 02.09.2019 एवं 26वीं बैठक दिनांक 02.12.2019 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

कार्य परिषद की 25वीं बैठक दिनांक 02.09.2019 एवं 26वीं बैठक दिनांक 02.12.2019 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही में सम्मिलित प्रस्ताव संख्या-25.01 से 26.01 तक प्रत्येक प्रस्ताव पर हुई कार्यवाही विवरण से कार्य परिषद अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 27.04- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2018) दिनांक 18 जुलाई, 2018 के अन्तर्गत शैक्षिक पदों हेतु साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों के चयन संबंधी मानदंड के विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर विचार विमर्श।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर कार्य परिषद द्वारा विस्तार से विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि- किसी भी विषय/श्रेणी में अधिक आवेदन-पत्र प्राप्त होने की दशा में आवश्यकता होने पर एक Screening Test आयोजित कराया जा सकता है। Screening Test के लिए 100 अंकों का एक वस्तुनिष्ठ (objective) प्रश्न-पत्र होगा जिसमें 70 प्रश्न संबंधित विषय से एवं 30 प्रश्न समसामयिकी/शिक्षण योग्यता (Teaching Aptitude)/दूरस्थ शिक्षा (ODL)/ से संबंधित होंगे।

प्रस्ताव संख्या 27.05- डॉ0 दीपक पालीवाल, सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र को पूर्व में स्वीकृत असाधारण अवैतनिक अवकाश की अवधि को आगामी 01 वर्ष के लिए विस्तारित किये जाने के संबंध में सूचना।

डॉ0 दीपक पालीवाल, सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र का डॉ0 आर0एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में संयुक्त निदेशक (व्यवहार विज्ञान) पद पर सेवा स्थानान्तरण के आधार पर चयन होने के उपरान्त विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय छ: परिनियम 32(5) में वर्णित असाधारण अवकाश की व्यवस्थानुसार पूर्व में दिनांक 15.12.2018 से दिनांक 28.02.2019 तथा दिनांक 01.03.2019 से दिनांक

14.12.2019 तक स्वीकृत असाधारण अवकाश को दिनांक 15.12.2019 से दिनांक 14.12.2020 तक कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में स्वीकृत किया गया है। प्रस्ताव पर विचारोपरान्त कार्य परिषद द्वारा उक्तानुसार अन्तिम विस्तारीकरण देते हुए विश्वविद्यालय कार्यहित में डॉ0 दीपक पालीवाल के असाधारण अवकाश को दिनांक 14 दिसम्बर, 2020 के उपरान्त नहीं बढ़ाये जाने का अनुमोदन किया गया जिसकी सूचना संबंधित विभाग को प्रेषित किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया है।

प्रस्ताव संख्या 27.06- विश्वविद्यालय हित में कुलपति द्वारा विशेष अधिकार के तहत विशेष अवसरों पर 05 अवकाश स्वीकृत किये जाने के संबंध में विचार।

कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि राज्य के शासकीय, अर्धशासकीय एवं अन्य राज्य विश्वविद्यालयों व शिक्षण संस्थानों में सक्षम अधिकारी को स्थानीय/क्षेत्रीय पर्वो पर विशेष अधिकार के तहत अवकाश घोषित करने या निर्बन्धित अवकाश को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का अधिकार निहित होता है। इसी क्रम में उत्तराखण्ड मुक्त विश्विद्यालय जो एक राजकीय विश्वविद्यालय है, के कुलपति को विशेष अवसरों पर जनहित में 05 अवकाश स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से कुलपति को उपरोक्त के क्रम में वर्ष में 05 विशेष अवकाश प्रदान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 27.07- प्रोफेसर गोविन्द सिंह, प्राध्यापक, पत्रकारिता एवं जनसंचार के अन्यत्र चयन होने पर देय असाधारण अवकाश एवं धारणाधिकार के संबंध में सूचना।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि प्रोफेसर गोविन्द सिंह, प्राध्यापक, पत्रकारिता एवं जनसंचार का जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू में प्राध्यापक पद पर चयन होने के फलस्वरूप उनके द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय छः परिनियम 32(5) में वर्णित असाधारण अवकाश की व्यवस्थानुसार दिनांक 27.12.2019 से छः माह का असाधारण अवकाश एवं धारणाधिकार, कार्य परिषद की 9वीं बैठक दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 के क्रम में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में स्वीकृत किया गया है। कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 27.08- डॉ0 शंशाक शुक्ला, सहायक प्राध्यापक, हिन्दी के अन्यत्र चयन होने पर देय असाधारण अवकाश एवं धारणाधिकार के संबंध में सूचना।

कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि डॉ0 शंशाक शुक्ला, सहायक प्राध्यापक, हिन्दी का जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू में सह-प्राध्यापक पद पर चयन होने के फलस्वरूप कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय छः परिनियम 32(5) में वर्णित असाधारण अवकाश की व्यवस्थानुसार दिनांक 13.12.2019 से दिनांक 12.12.2020 तक 01 वर्ष का असाधारण अवकाश एवं धारणाधिकार, कार्य परिषद की 9वीं बैठक दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 के क्रम में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में स्वीकृत किया गया है। कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 27.09- विश्वविद्यालय में नियोजित अकादमिक, प्रशासनिक एवं तकनीकी परामर्शदाताओं के कार्यकाल विस्तारण एवं नवीन नियोजन के संबंध में सूचना।

प्रस्ताव पर कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में नियोजित अकादमिक, प्रशासनिक एवं तकनीकी परामर्शदाताओं की नियोजन अवधि के संबंध में कार्य परिषद की 24वीं बैठक दिनांक 25 फरवरी, 2019 में प्रत्येक छ: माह में विभागाध्यक्ष से प्राप्त Performance Appraisal Report के आधार पर एक दिन का ब्रेक देकर अधिकतम 02 वर्ष तक कार्य विस्तार दिये जाने पर अनुमोदन दिया गया है, जिसके क्रम में अकादमिक, प्रशासनिक एवं तकनीकी परामर्शदाताओं की छ: माह की सेवा विस्तारीकरण अवधि दिनांक 31-12-2019 को पूर्ण होने के फलस्वरूप संबंधित विभागाध्यक्षों से प्राप्त Performance Appraisal Report के आधार पर 01 दिन के सेवा व्यवधान के साथ कुलपति जी द्वारा पुन: दिनांक 02 जनवरी, 2020 से दिनांक 30 जून, 2020 (छ: माह) तक इनको सेवा विस्तार दिया गया है। कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 27.10- श्री गोविन्द सिंह, सहायक क्षेत्रीय निदेशक को स्वीकृत पितृत्व अवकाश के संबंध में सूचना।

कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-819/XXVII(7)34/2010-11, दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य सरकार में कार्यरत विवाहित पुरूष कर्मचारियों को 15 दिन के पितृत्व अवकाश अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था है। उक्त व्यवस्थानुसार श्री गोविन्द सिंह, सहायक क्षेत्रीय निदेशक को उनके आवेदन पत्र दिनांक 27 जनवरी, 2020 के क्रम में दिनांक 03.01.2020 से दिनांक 17.01.2020 तक कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में 15 दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया गया है। कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या 27.11- शासन द्वारा विश्वविद्यालय हेतु सृजित आउटसोर्स के 58 पदों पर उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-276/XXX(2)/2019-53(01)/2001, **दिनांक 11.09.2019 के अनुसार आरक्षण रोस्टर अवधारित किये जाने के संबंध में सूचना।**

कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि शासन द्वारा विश्वविद्यालय हेतु सृजित आउटसोर्स के 58 पदों पर उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-**276/XXX(2)/2019-53(01)/2001,** दिनांक 11.09.2019 के अनुसार आरक्षण रोस्टर अवधारित किये जाने हेतु कुलपति जी द्वारा गठित रोस्टर समिति की दिनांक 03.02.2020 को बैठक सम्पन्न हुई जिसकी संस्तुतियां कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत हैं। कार्य परिषद द्वारा समिति की संस्तुतियों का अवलोकन कर सम्यक विचारोपरान्त अनुमोदन दिया गया।

प्रस्ताव संख्या 27.12- विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं बैठक दिनांक 29 जनवरी, 2020 की संस्तुतियों का अनुमोदन।

कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की 10वीं बैठक दिनांक **29 जनवरी, 2020** के कार्यवृत्त का अवलोकन कर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 27.13- शासन द्वारा विश्वविद्यालय हेतु सृजित एवं रिक्त शिक्षणेत्तर (समूह ग) पदों पर विश्वविद्यालय में पूर्व से कार्यरत कार्मिकों को सीमित विभागीय लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये जाने पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद को विस्तृत जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में पूर्व से कतिपय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिक शासन द्वारा सृजित आउटसोर्स के पदों पर कार्यरत हैं जिनकी लगभग 10 वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी है। दीर्घकालीन सेवा पूर्ण होने के उपरान्त भी तकनीकी कारणों से इन्हें नियमित नहीं किया जा सका है। शासन द्वारा विश्वविद्यालय हेतु सृजित शिक्षणेत्तर (समूह ग) पदों में से कुछ पद वर्तमान में रिक्त हैं जिन पर इन कार्मिकों को नियुक्त किये जाने हेतु प्रस्ताव कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गयी तदुपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया कि वर्तमान में कार्यरत उक्त कार्मिकों की नियुक्ति हेतु एक समिति का गठन कर कार्मिकों व विश्वविद्यालय हित में एक नियमावली बना ली जाय तथा संबंधित कार्मिकों की विश्वविद्यालय स्तर पर एक आन्तरिक परीक्षा जिसमें कौशल विकास (Skill Test) आदि सम्मिलित हो, के माध्यम से नियुक्त किया जा सकता है। नियमावली बनाने के लिए समिति के गठन हेतु कार्य परिषद द्वारा कुलपति को अधिकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 27.14- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।

27.14.01- विश्वविद्यालय वित्त समिति की 13वीं बैठक दिनांक 10 फरवरी, 2020 की संस्तुतियों का अनुमोदन।

विश्वविद्यालय वित्त समिति की 13वीं बैठक दिनांक 10 फरवरी, 2020 का कार्य परिषद द्वारा अवलोकन किया गया तथा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मद संख्या-13.05, 13.09 तथा 13.15 (घ) में निम्नानुसार विलोपन/ संशोधन कर शेष कार्यवृत्त पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया:-

मद संख्या- 13.05:- सैमका (वैल्कम टू कॉमनवैल्थ एजुकेशन मीडिया सेन्टर फॉर एशिया) में से **वैल्कम टू** हटाया गया।

मद संख्या-13.09 के अन्तिम पैरा "ऐसे मानदेय वृद्धि के प्रकरण तीन वर्ष बाद ही प्रस्तुत किये जाए" को पूर्ण रूप से विलोपित करते हुए नई दरें कार्य परिषद की बैठक दिनांक 12.02.2020 से लागू किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या- 13.15 (घ):- कुलसचिव को ₹10,000/-तक के व्ययों की स्वीकृत के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के बिजली, पानी, टैलीफोन, कुलपति कैम्प कार्यालय का किराया, शुल्क वापसी, धरोहर राशि/प्रतिभूति जमा आदि समस्त सरकारी अति आवश्यक बीजकों/व्ययों पर भुगतान की स्वीकृति हेतु भी अधिकृत किया गया।